सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2008-09

नए समाज की ओर

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

भारत सरकार

विषय सूची

अध्याय 1.	प्रस्तावना	1
अध्याय 2.	महिला विकास	19
अध्याय 3.	बाल विकास	41
अध्याय 4.	अन्य कार्यक्रम	73
अध्याय 5.	खाद्य एवं पोषण बोर्ड	83
अध्याय 6.	जेन्डर बजट आयोजना	95
अध्याय 7.	राष्ट्रीय जन-सहयोग एवं बाल विकास संस्थान	117
अध्याय 8.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	143
अध्याय 9.	राष्ट्रीय महिला आयोग	153
अध्याय 10.	राष्ट्रीय महिला कोष (महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण कोष)	169
अध्याय 11.	राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग	189
अध्याय 12.	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण	197
अनुलग्नक		205

प्रस्तावना

वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

1

नए समाज की ओर

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

प्रस्तावना

1.1 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को 17 फरवरी, 2006 की अधिसूचना के अनुसार, 30 जनवरी, 2006 को एक पृथक मंत्रालय बनाया गया । यह मंत्रालय देश में महिलाओं तथा 0-18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों, जो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 71.14% हैं, के विकास से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है ।

उद्देश्य

1.2 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का उद्देश्य "देश में महिलाओं और बच्चों की समग्र उत्तरजीविता, विकास, सुरक्षा तथा सहभागिता सुनिश्चित करना" है । मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों की उन्नति के लिए नीतियां, कार्य योजनाएं, कानून, कार्यक्रम और स्कीमें तैयार की हैं और इनका कार्यान्वयन अपने अधिदेश की पूर्ति के लिए राज्य सरकारों, अन्य सरकारी अभिकरणों तथा स्वैच्छिक क्षेत्र के सहयोग से कर रहा है ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को आबंटित विषय

1.3 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषय **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं । सरकार द्वारा जारी 16 फरवरी, 2006 की अधिसूचना के अनुसार, बाल कल्याण/संरक्षण से जुड़े सभी विषयों, जैसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) तथा दत्तकग्रहण, जो पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास थे, को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को अन्तरित कर दिया गया ।

संगठन

1.4 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रीमती रेणुका चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रमुख रही हैं । श्री अनिल कुमार ने 18.10.2007 से मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया । मंत्रालय में अपर सचिव के एक पद का सृजन किया गया है और यह पद 5.11.2008 को भरा जा चुका है । सचिव की सहायता के लिए एक अपर सचिव, एक अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, तीन संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार तथा एक सांख्यिकीय सलाहकार कार्यरत हैं । मंत्रालय में पांच ब्यूरो हैं, जो निम्नलिखित कार्य देखते हैं, अर्थात् (i) बाल विकास ; (ii) बाल कल्याण एवं संरक्षण ; (iii) महिला कल्याण एवं विकास ; (iv) अवैध व्यापार निवारण, बालिका तथा जैण्डर बजट आयोजना; और (v) योजना, अनुसंधान, मानीटरन और सांख्यिकी ।

1.5 मंत्रालय के तत्वावधान में चार स्वायत्त संगठन हैं, अर्थात् **राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड), राष्ट्रीय महिला कोष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड** तथा **केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा)** । निपसिड, राष्ट्रीय महिला कोष तथा कारा सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसायटियां हैं । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत धर्मार्थ कम्पनी है । ये संगठन पूर्णतः भारत सरकार द्वारा निधियन-प्राप्त हैं और ये

मंत्रालय के कार्यों तथा कुछ कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता करते हैं । **खाद्य एवं पोषण बोर्ड** मंत्रालय का एक **संबद्ध** कार्यालय है । **राष्ट्रीय महिला आयोग** की स्थापना महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए 1992 में एक **राष्ट्रीय सर्वोच्च सांविधिक निकाय** के रूप में की गई । भारत के राजपत्र में 20 जनवरी, 2006 को 2006 के अधिनियम सं. 4 के रूप में अधिसूचित बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की परिकल्पना के अनुसार, सरकार ने 5 मार्च, 2007 को **राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग** की स्थापना की। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

महिलाओं का विकास

1.6 महिला एंव बाल विकास मंत्रालय महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम और स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है । प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

- **आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम** - स्वयंसिद्धा (31.03.2008 को समाप्त), प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप)
- **सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रम** - स्वाधार आश्रय गृह, अल्पावास गृह तथा महिलाओं के लिए हैल्पलाइन । महिला मण्डल, जागरुकता विकास कार्यक्रम, शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम तथा परिवार परामर्श केन्द्र कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं का समग्र विकास करना है ।
- **समर्थन सेवाएं** - कामकाजी महिला होस्टल, राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम
- **महिलाओं के लिए लघु ऋण** - महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन के

माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रीमती रेणुका चौधरी, उनकी बायीं ओर पुरस्कार प्राप्तकर्ता तथा दायीं ओर अपर सचिव, श्रीमती विजय लक्ष्मी के. गुप्ता एवं संयुक्त सचिव डा. किरण चड्ढा

रूप में कार्यरत **राष्ट्रीय महिला कोष (आर.एम.के.)** 'आर.एम.के.-एन.जी.ओ.-स्व-सहायता दल-लाभार्थी' नामक एक अद्वितीय ऋण कार्यक्रम चला रहा है और महिलाओं को अपनी आजीविका कार्यकलाप शुरू करने के लिए लचीले ऋण मानकों के साथ बिना झंझट ऋण प्रदान करता है । ऋण पर ब्याज की दर मामूली होती है और किसी ऋणाधार की आवश्यकता भी नहीं होती ।

बच्चों का विकास

1.7 1975 में शुरू की गई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम, अर्थात् **समेकित बाल विकास सेवा स्कीम** मंत्रालय की सर्वप्रमुख स्कीम है, जिसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती तथा धात्री माताओं का समग्र विकास करना है । इस स्कीम के अंतर्गत अनिवार्य सेवाओं का एक पैकेज प्रदान किया जाता है, जिसमें पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्कूल-पूर्व शिक्षा, विशेषज्ञ सेवाएं, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा शामिल हैं ।

1.8 आई.सी.डी.एस. स्कीम वर्ष 1975 में 33 ब्लॉकों (परियोजनाओं) में शुरू की गई थी । इसका दो चरणों में धीरे-धीरे विस्तार किया गया है । 30.6.2008 तक की स्थिति के अनुसार, 6284 संस्वीकृत परियोजनाओं में से 6108 परियोजनाएं प्रचालित हैं । **आई.सी.डी.एस. स्कीम को सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य** की प्राप्ति, जैसा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लिखित है, के लिए भारत सरकार ने राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर पूरे देश में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदायों पर विशेष ध्यान देते हुए अब तक वंचित बस्तियों को लाभान्वित करने की दृष्टि से अक्तूबर, 2008 में स्कीम के तीसरे चरण के विस्तार के लिए 792 अतिरिक्त परियोजनाओं, 2,13,286 अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा 77,102 लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है । इसके साथ स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या बढ़कर 7076 हो गई है, जिनमें 13.80 लाख आंगनवाड़ी केन्द्र (लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों सहित) हैं । इसके अलावा, 20,000 आंगनवाड़ियों (मांग पर) का भी प्रावधान किया गया है । पूरक पोषण हेतु कैलोरी संबंधी मानकों और वित्तीय मानकों, दोनों में बढ़ोतरी की गई है ।

1.9 मंत्रालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों की सहायिकाओं और लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के **मानदेय में भी क्रमशः 500/-रुपये और 250/-रुपये की वृद्धि** की है । आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रति वर्ष दो वर्दियों और एक बैज का प्रावधान भी किया गया है ।

1.10 **मंत्रालय ने आलोच्य वर्ष के दौरान आई.सी.डी.एस. स्कीम संबंधी व्यय के केन्द्र और राज्यों के बीच बंटवारे के तरीके में संशोधन** किया है और आई.सी.डी.एस. के विभिन्न घटकों के लागत मानकों में भी परिवर्तन किया है । पूर्वोत्तर राज्यों में केन्द्र और राज्य के बीच पूरक पोषण के खर्च के बंटवारे को 50: 50 के स्थान पर वित्त वर्ष 2009-10 से 90:10 कर दिया जाएगा । जहां तक अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है, पूरक पोषण के संबंध में व्यय के बंटवारे की मौजूदा पद्धति जारी रहेगी । तथापि, आई.सी.डी.एस. के अन्य सभी घटकों के लिए अनुपात में संशोधन कर इसे 90:10 कर दिया गया है, जिनके लिए पहले शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती थी ।

1.11 **किशोरी शक्ति योजना** तथा **किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम** ऐसी स्कीमें हैं, जिनका लक्ष्य-वर्ग कुपोषित किशोरियां हैं । ये स्कीमें आई.सी.डी.एस. अवसंरचना के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं ।

बाल संरक्षण

1.12 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बालिकाओं की उत्तरजीविता और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं । यह मंत्रालय **गर्भाधान-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994** के कारगर कार्यान्वयन और कड़े मानीटरन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समन्वय बनाकर कार्य कर रहा है ।

1.13 बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के स्थान पर 11 जनवरी, 2007 को **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006** अधिसूचित किया गया है ।

05 फरवरी, 2009 को आयोजित राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण समारोह

1.14 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **3 मार्च, 2008 को ''बालिका के लिए बीमा सुरक्षा सहित सशर्त नकद हस्तान्तरण''** नामक एक नई प्रायोगिक स्कीम **(धनलक्ष्मी)** शुरू की है, जिसके अंतर्गत कुछ विशिष्ट शर्तों को पूरा करने पर बालिका के परिवार (यथासंभव मां) को नकद राशि तथा बीमा की राशि हस्तांतरित की जाएगी।

1.15 मंत्रालय ने आलोच्य वर्ष के दौरान **समेकित बाल संरक्षण स्कीम** नामक एक नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम तैयार की और उसे अनुमोदित कराया । इस स्कीम का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाले देश के बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करना तथा उनके शोषण, उपेक्षा, दुर्व्यवहार, परित्याग और पृथक्करण के कारणों को दूर करने में सहायता प्रदान करना और उनके सर्वांगीण विकास हेतु वातावरण तैयार करना है ।

1.16 बच्चों के कल्याण, विकास और संरक्षण के लिए चलाई जा रही अन्य महत्वपूर्ण स्कीमें इस प्रकार हैं :

- कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम
- देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण की स्कीम
- निराश्रित बच्चों हेतु समेकित स्कीम
- किशोरों के सामाजिक असामंजस्य के निवारण और नियंत्रण की स्कीम (किशोर न्याय कार्यक्रम)
- देश के भीतर बच्चों के दत्तक ग्रहण के संवर्धन हेतु शिशु गृह स्कीम

निराश्रित बच्चों, किशोर अपराधियों हेतु वर्तमान स्कीमों तथा शिशु गृह स्कीम को **समेकित बाल संरक्षण स्कीम** के अंतर्गत लाया जाएगा और इसमें नए कार्यक्रम जोड़े जाएंगे ।

महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार का निवारण

1.17 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अवैध देह व्यापार को रोकने के लिए अनेक उपाय कर रहा है । इनमें प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं :

1. **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 में संशोधन किया जा रहा है,** ताकि अवैध व्यापारियों तथा इस अपराध में संलग्न अन्य व्यक्तियों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान किया जा सके, अधिनियम के ऐसे खण्डों को हटाया जा सके, जिनमें पीड़ित व्यक्ति को पुनः पीड़ित किया जाता है तथा किसी संस्थागत तंत्र की व्यवस्था की जा सके ।

2. '**उज्ज्वला**' नामक एक नई केन्द्रीय स्कीम - यह व्यापक स्कीम 4 दिसम्बर, 2007 को शुरू की गई, जिसका उद्देश्य अवैध व्यापार की रोकथाम तथा अवैध व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण की शिकार महिलाओं का बचाव, पुनर्वास, पुनर्समेकन करना तथा उन्हें उनके देश भेजना है ।

अन्य स्कीमें और पहलें

अनुसंधान, प्रकाशन और मानीटरन के लिए सहायतानुदान

1.18 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उभरते हुए मुद्दों पर मौजूदा कार्यक्रमों तथा सेवाओं की व्यवहार्यता और कार्यकुशलता की जांच के लिए अनुसंधान अध्ययनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1986-87 से **अनुसंधान, प्रकाशन और मानीटरन के लिए सहायतानुदान** की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है । इस स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय महिलाओं और बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के लिए भी सहायता प्रदान करता है ।

मीडिया गतिविधियां

1.19 मंत्रालय का मीडिया एकक इस मंत्रालय द्वारा निरूपित और कार्यान्वित नीतियों, कार्यक्रमों और विकासात्मक गतिविधियों का व्यापक प्रचार करके महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों के बारे में देश में जागरुकता पैदा कर रहा है । मंत्रालय द्वारा **सूचना, जनशिक्षा तथा प्रकाशन** नामक एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है ।

महिलाओं और बच्चों के लिए अभिनव कार्यों हेतु सामान्य सहायतानुदान

1.20 इस स्कीम के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में ऐसी अभिनव गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, जो मंत्रालय की अन्य सहायतानुदान स्कीमों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं ।

महिलाओं को न्याय और कानूनी सुरक्षोपाय

1.21 महिलाओं के अधिकारों के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, उनके हितों की सुरक्षा राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिदेश है । विवाह के अनिवार्य पंजीकरण के प्रावधान वाला एक विधेयक विचारार्थ और पारित कराने के लिए विधायी विभाग को भेजा गया है ।

महिलाओं और पुरुषों के संबंध में अलग-अलग आंकड़ा आधार और जेन्डर बजट आयोजना

1.22 नीतियों और कार्यक्रमों के लाभ अभीष्ट लोगों तक पहुंच रहे हैं - इस बात की जांच करने के लिए महत्वपूर्ण मानीटरन उपायों के रूप में महिलाओं और पुरुषों के संबंध में अलग-अलग आंकड़ा आधार तैयार करने तथा जेंडर बजट आयोजना पर बल दिया गया है । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को जेंडर बजट आयोजना हेतु नोडल मंत्रालय अभिनिर्धारित किया गया है ।

1.23 मंत्रालय ने **महिला-पुरुष समानता का संवर्धन** नामक भारत सरकार-यू.एन.डी.पी. परियोजना के अंतर्गत भारत और राज्यों के लिए महिला विकास संसूचक तथा महिला सशक्तिकरण मापदंड तैयार किए हैं। अन्य महत्वपूर्ण पहल दक्षेस महिला सूचना आधार का विकास है । दक्षेस महिला सूचना आधार, जो कि दक्षेस देशों के लिए एक अद्वितीय क्षेत्रीय वैब आधारित सूचना प्रणाली है, में तीन विषयों, अर्थात् महिलाओं में निर्धनता, स्वास्थ्य मुद्दे (एच.आई.वी. सहित) तथा महिलाओं के साथ हिंसा (विशेषकर अवैध व्यापार) पर ध्यान केंद्रित किया गया है । भारत में दक्षेस महिला सूचना आधार के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल अभिकरण है ।

महिलाओं के प्रति भेदभावों की समाप्ति हेतु कन्वेंशन (सीडा)

1.24 भारत ने 30 जुलाई 1980 को महिलाओं के प्रति भेदभावों की समाप्ति हेतु कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए तथा 9 जुलाई, 1993 को एक शर्त और दो घोषणात्मक वक्तव्यों के साथ इसका अनुसमर्थन किया। सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयीय समिति गठित की गई है। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश है, जहां सीडा के कार्यान्वयन हेतु ऐसी समिति गठित की गई है । दक्षिणी क्षेत्र के लिए महिलाओं के प्रति भेदभावों की समाप्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन(सीडा) पर क्षेत्रीय सम्मेलन 15-16 मई, 2008 को हैदराबाद में आयोजित किया गया । पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन 21-22 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया ।

बीजिंग कार्रवाई मंच

1.25 1995 में बीजिंग में आयोजित चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें महिला सशक्तिकरण की दिशा निर्धारित की गई और एक घोषणा तथा कार्रवाई मंच को अंगीकार किया गया । भारत ने दोनों ही दस्तावेजों को बिना किसी शर्त के अंगीकार किया और चिंता के 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अभिनिर्धारित किया, जिनमें निर्धनता, शिक्षा तथा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, महिलाओं के साथ हिंसा, सशस्त्र संघर्ष में महिलाएं, अर्थव्यवस्था, अधिकार तथा निर्णय-निर्माण, महिलाओं की उन्नति के लिए संस्थागत तंत्र, प्रचार-माध्यम, पर्यावरण, महिलाओं और बालिकाओं के मानवाधिकार शामिल हैं । महिलाओं की स्थिति पर आयोग इन क्षेत्रों में सदस्य देशों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करता है । महिलाओं की स्थिति पर आयोग का 53वां सत्र 2-13 मार्च, 2009 तक निम्नलिखित विषयों पर आयोजित किया गया :

(i) महिलाओं और पुरुषों के बीच दायित्वों (एच.आई.वी./एड्स के संदर्भ में देखभाल सहित) के समान बंटवारे के संवर्धन हेतु प्रमुख नीतिगत उपाय और अभिनव दृष्टिकोण; और

(ii) महिलाओं और पुरुषों के बीच दायित्वों (एच.आई.वी./एड्स के संदर्भ में देखभाल सहित) के समान बंटवारे के समर्थन में राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में महिला परिप्रेक्ष्य को मुख्यधारा में लाने के लिए क्षमता-निर्माण।

मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों का मूल्यांकन

1.26 मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मूल्यांकन अध्ययनों का ब्यौरा इस प्रकार है :

- **समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (आई.सी. डी.एस.) :** इस स्कीम का राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) द्वारा 1992 में ; राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1998 में तथा पुनः निपसिड द्वारा 2005-06 में मूल्यांकन किया गया । **आई.सी.डी.एस. के तीन दशक - एक मूल्यांकन** नामक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है ।

- **किशोरी शक्ति योजना :** इस स्कीम का मूल्यांकन राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान, आई.सी.एम.आर., नई दिल्ली द्वारा किया गया । रिपोर्ट का प्रारुप प्रस्तुत कर दिया गया है और इसकी जांच की जा रही है ।

- **किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम :** न्यूट्रिशन फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया ने इस स्कीम का मूल्यांकन दिसम्बर, 2006 में पूरा कर लिया है और रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दी गई है ।

- **स्वयंसिद्धा :** इस स्कीम का मूल्यांकन इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन प्रा0 लि0, नई दिल्ली नामक एक बाह्य अभिकरण द्वारा 2005 में किया गया । इसकी रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है ।

- **महिलाओं हेतु प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता (स्टेप) :** इसके समवर्ती मूल्यांकन की व्यवस्था स्कीम में निहित है । इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट, नई दिल्ली नामक एक स्वतंत्र अभिकरण द्वारा इस स्कीम का मूल्यांकन किया गया है और संस्थान ने अपनी रिपोर्ट जून, 2007 में प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है तथा स्कीम के मानकों में संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

- **स्वाधार, अल्पावास गृह और महिला हैल्प लाइन:** इसका मूल्यांकन सैंटर फॉर मार्किट रिसर्च एण्ड सोशल डैवलपमेंट, नई दिल्ली द्वारा किया गया और रिपोर्ट फरवरी, 2008 में प्रस्तुत कर दी गई है । रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है और स्वाधार तथा अल्पावास गृह नामक दोनों स्कीमों का विलय करने की कार्रवाई की जा रही है ।

- **कामकाजी महिला होस्टल :** इस स्कीम का मूल्यांकन अध्ययन निपसिड द्वारा 2005 में प्रायोगिक आधार पर किया गया और रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है । इसके कार्यान्वयन को और अधिक सुगम बनाने के लिए इसके मानकों में संशोधन किया जा रहा है ।

- **महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार के निवारण हेतु प्रायोगिक परियोजना :** इसका मूल्यांकन निपसिड द्वारा किया गया और रिपोर्ट जुलाई, 2007 में प्रस्तुत की गई । इस स्कीम के स्थान पर उज्ज्वला स्कीम बनाई गई है, जो कि महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार के निवारण के लिए एक व्यापक स्कीम है ।

- **निराश्रित बच्चों हेतु समेकित स्कीम :** इस स्कीम का मूल्यांकन निपसिड द्वारा किया गया और रिपोर्ट 2007 में प्रस्तुत की गई ।

- **शिशु गृह हेतु सहायता की स्कीम:** इस स्कीम का उद्देश्य देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना है । इसका मूल्यांकन निपसिड द्वारा किया गया और रिपोर्ट 2007 में प्रस्तुत की गई ।

- **देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण की स्कीम :** इस स्कीम के मूल्यांकन का कार्य 2008 में निपसिड को सौंपा गया । मूल्यांकन कार्य प्रगति पर है ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्कीमों/ कार्यक्रमों का मूल्यांकन

- **जागरुकता विकास परियोजनाएं** - हाल ही में इस स्कीम का निम्नलिखित संगठनों द्वारा मूल्यांकन किया गया है :-

  - दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क (दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली)
  - चेतना, गुजरात
  - गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, चेन्नई, तमिलनाडु
  - विद्या सागर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, पश्चिम बंगाल
  - केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, दिल्ली का मूल्यांकन और सांख्यिकी प्रभाग

इन मूल्यांकन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के आधार पर इस स्कीम में संशोधन किया जा रहा है ।

- **महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम** - इस स्कीम का समय-समय पर मूल्यांकन किया गया है और मूल्यांकन की सिफारिशों के आधार पर स्कीम में संशोधन किया जा रहा है ।

- **परिवार परामर्श केन्द्र** - इस स्कीम का वर्ष 2004-05 में टाटा समाज विज्ञान संस्थान द्वारा मूल्यांकन किया गया और जून, 2006 से संशोधित वित्तीय मानक अपना लिए गए हैं ।

- **कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम** - संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से अभिनिर्धारित स्वतंत्र मानीटरन अभिकरणों के माध्यम से शिशु गृहों के मानीटरन का तंत्र स्कीम में विहित है । इस स्कीम का मूल्यांकन किया गया और 01.01.2006 से संशोधित वित्तीय मानक अपना लिए गए हैं ।

प्रमुख आयोजन

मोटापे पर विचार गोष्ठी

1.27 बच्चों में मोटापे के कुप्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए **24 अप्रैल, 2008** को नई दिल्ली में ''बच्चों और किशोरों में मोटापा : उभरते हुए मुद्दे और चुनौतियां'' विषय पर एक विचार-गोष्ठी आयोजित की गई । इसकी अध्यक्षता माननीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने की ।

सरोगेसी पर परामर्श बैठक

1.28 सरोगेसी (किराए पर कोख देने) से जुड़े पेचीदा नैतिक और कानूनी मुद्दों तथा बच्चों, सरोगेट मां तथा उसके परिवार, कोख किराए पर लेने वाले अभिभावकों तथा अन्य सभी संबंधित पक्षों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने **25 जून, 2008** को एक परामर्श बैठक आयोजित की, जिसमें सरोगेसी से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया । यह बैठक माननीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) की उपस्थिति में आयोजित की गई ।

महिला सशक्तिकरण में पुरुषों की भूमिका पर गोलमेज़ सम्मेलन

1.29 महिला सशक्तिकरण तथा महिला-पुरुष समानता को बढ़ावा देने में पुरुषों की भूमिका पर 25 जून, 2008 को एक गोलमेज़ सम्मेलन भी आयोजित किया गया ।

राष्ट्रीय पोषण मिशन की कार्यकारी समिति की तीसरी बैठक

1.30 कुपोषण, खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म पोषक तत्वों से संपुष्ट करने तथा खाद्य एवं पोषण बोर्ड का जिला स्तर तक विस्तार करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए माननीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषण मिशन की कार्यकारी समिति की तीसरी बैठक **8 जुलाई, 2008** को आयोजित की गई ।

विश्व स्तनपान सप्ताह

1.31 सभी सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार एककों ने पूरे देश में **1-7 अगस्त, 2008** तक **मां का दूध : एक स्वर्णिम उपहार** विषय पर विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया ।

मंत्रालय के प्रचार अभियान की शुरूआत

1.32 **20 अगस्त, 2008** को माननीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) द्वारा मंत्रालय का प्रचार अभियान शुरू किया गया । इस अभियान के प्रमुख विषय पोषण, बालिका तथा घरेलू हिंसा पर जागरुकता थे । 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किए जाने के उपरांत मंत्रालय ने **19 जनवरी, 2009** को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सैंटर में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया तथा मंत्रालय के प्रचार अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया ।

महिलाओं के साथ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के विषय में क्षेत्रीय सम्मेलन

1.33 महिलाओं के साथ भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के विषय में दक्षिण क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन **15-16 मई, 2008** को हैदराबाद में आयोजित किया गया । पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन **21-22 अक्तूबर, 2008** को नई दिल्ली में आयोजित किया गया ।

दक्षेस क्षेत्र में लघु वित्त तथा महिला आर्थिक सशक्तिकरण पर दूसरा सम्मेलन

1.34 राष्ट्रीय महिला कोष ने विदेश मंत्रालय के दक्षेस प्रभाग के सहयोग से 16 मई, 2008 को दक्षेस क्षेत्र में लघु वित्त तथा महिला आर्थिक सशक्तिकरण पर दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। भारत के अलावा, बंगलादेश, मालदीव, नेपाल तथा श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया ।

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन

1.35 **1-7 सितम्बर, 2008** तक इंडिया गेट, नई दिल्ली के मैदान में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन किया गया । 5-7 सितम्बर, 2008 तक इंडिया गेट, नई दिल्ली के मैदान में 'बाल पोषण में निवेश' विषय पर पोषण पर एक ऐतिहासिक प्रदर्शनी लगाई गई । इस प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री सोमनाथ चैटर्जी द्वारा माननीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) की उपस्थिति में किया गया।

'स्त्री शक्ति पुरस्कार' वितरण समारोह की पूर्व संध्या पर पोषण कैलेण्डर का विमोचन करतीं माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका महिला मंच की द्वितीय बैठक

1.36 भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका महिला मंच की द्वितीय बैठक **13-14 अक्तूबर, 2008** को नई दिल्ली मे आयोजित की गई । इस बैठक में मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों तथा नागरिक समाज के सदस्यों ने भाग लिया ।

विदेशी शिष्टमंडलों के दौरे

1.37 **वर्ष 2008-09** के दौरान, अफगानिस्तान, बेहरीन, मिस्र और चीन के शिष्टमंडलों का स्वागत किया गया। महिला विकास और सशक्तिकरण हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और स्कीमों में इन शिष्टमंडलों ने गहरी रूचि दिखाई और अनुभवों के आपसी आदान-प्रदान को जारी रखने और विशेषकर लघु ऋण और आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की।

वात्सल्य मेला

1.38 इस वर्ष के बाल दिवस समारोह के भाग के रूप में मंत्रालय ने **14-27 नवम्बर, 2008** तक भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में एक मंडप स्थापित किया । मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में शानदार सूचनाप्रद प्रदर्शनी का आयोजन किया । अनेक स्व-सहायता दलों ने मंत्रालय के मंडप में स्टॉल लगाए, जिनमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदर्शित किए गए । सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा आयोजित अभिनव लेज़र शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने हर शाम मेले में आने वाले आगंतुकों का मनोरंजन किया ।

वात्सल्य मेले में स्टॉल का अवलोकन करतीं माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

राष्ट्रीय बालिका दिवस - 24 जनवरी

राष्ट्रीय बालिका दिवस के लोगो का विमोचन

1.39 बालिकाओं के सम्मुख आने वाली विभिन्न समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने और समाज के विभिन्न वर्गों में महिला मुद्दों पर संचेतना पैदा करने की दृष्टि से हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने और इस दिन को बालिका को समर्पित करने का प्रस्ताव किया गया । माननीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) ने **19 जनवरी, 2009** को राष्ट्रीय बालिका दिवस के लिए लोगो जारी किया ।

वर्ष 2008 के राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का अभिवादन

1.40 माननीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) ने **19 जनवरी, 2009** को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2008 के राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का अभिवादन किया ।

आंगनवार्ता के हैदराबाद संस्करण का विमोचन

1.41 माननीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) द्वारा **4 फरवरी, 2009** को हैदराबाद में आंगनवार्ता के हैदराबाद संस्करण का विमोचन किया गया ।

राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार

1.42 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान करने के लिए **5 फरवरी, 2009** को एक समारोह का आयोजन किया :

1. उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु राष्ट्रीय बाल पुरस्कार(2007 और 2008) (40 बच्चों को)
2. राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार (2007-2008) (10 संस्थाओं और 3 व्यक्तियों को)
3. राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार (2008) (3 व्यक्तियों को)

ये पुरस्कार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा प्रदान किए गए । महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार), श्रीमती रेणुका चौधरी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री ए. राजा तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे । समारोह में 800 बच्चों ने भी भाग लिया। इसके अलावा, राष्ट्रीय बालिका दिवस के स्मरणोत्सव पर **एक विशेष डाक टिकट भी जारी की गई** ।

स्त्री शक्ति पुरस्कार

1.43 ये पुरस्कार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कण्णगी, रानी गैंदिल्यू, देवी अहिल्याबाई और माता जीजाबाई के नाम से दिए जाते हैं । पुरस्कार के अंतर्गत 3 लाख रुपये नकद और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है । स्त्री शक्ति पुरस्कार की एक अन्य उप-श्रेणी वर्ष 2007 से जोड़ी गई है । यह पुरस्कार रानी रुद्रम्मा के नाम से दिया जाएगा । वर्ष 2007 के स्त्री शक्ति पुरस्कार विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में **28.2.2009** को प्रदान किए गए ।

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्रियों और सचिवों का सम्मेलन, 'अनन्या' नामक पुस्तिका का विमोचन तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को पुरस्कार

1.44 महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा तथा विचार-विमर्श के लिए और मंत्रालय की स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए महिला एवं बाल विकास के प्रभारी राज्य मंत्रियों और सचिवों तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अन्य

संवाददाताओं को संबोधित करतीं माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); उनकी बायीं ओर अपर सचिव एवं दायीं ओर सचिव, महिला एवं बाल विकास

वरिष्ठ अधिकारियों का एक सम्मेलन **28 फरवरी, 2009** को नई दिल्ली में आयोजित किया गया । इस सम्मेलन ने विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकारों के सरोकारों पर चर्चा करने और उनका समाधान ढूंढने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया । इस दिन माननीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) ने स्मरणोत्सव पुस्तिका **'अनन्या'** की राष्ट्रीय अभिकल्प संस्थान द्वारा तैयार संकल्पना और आवरण पृष्ठ जारी किया । एक मां और उसकी अजन्मी बेटी के बीच वार्ता के रूप में परिकल्पित इस पुस्तिका का उद्देश्य नारीत्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना है । इस दिन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए ।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

1.45 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अनेक समारोहों का आयोजन किया। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो 8 मार्च को मनाया जाता है, पूरे विश्व में सभी महिलाओं को जोड़ने वाला विश्व दिवस है । इस दिन महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए प्रेरित किया जाता है ।

> वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र का विषय है : 'महिलाओं और बालिकाओं में निवेश'
>
> महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का विषय है: 'संरक्षण से सफलता तक, उत्सव नारी जीवन का'

1.46 8 मार्च, 2009 को आयोजित समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव ने '**मानव विकास संसूचकों में महिला परिप्रेक्ष्य : भारत में महिला विकास संसूचकों तथा महिला सशक्तिकरण मापक में संशोधन**' नामक एक संक्षिप्त रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट

1.47 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अपनी वैबसाइट www.wcd.nic.in है, जिसका रखरखाव और समय-समय पर अद्यतनीकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा किया जाता है ।

अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए आरक्षण

1.48 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन संगठनों की सेवाओं में भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन किया जा रहा है। संवर्ग प्राधिकरण के नाते मंत्रालय ने आरक्षित रिक्तियों की सूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजी है । मंत्रालय के सभी स्वायत्त निकायों तथा सम्बद्ध कार्यालय, खाद्य एवं पोषण बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वे अनुसूचित जातियों/ जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष प्रयास करें । यदि भर्ती की प्रक्रिया में पहली बार कोई उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं होता है तो उसी भर्ती वर्ष में अथवा यथाशीघ्र दूसरी बार भी इस दिशा में प्रयास किए जाने हैं।

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम

1.49 इस प्रयोजनार्थ एक संयुक्त सचिव को नोडल अधिकारी नामित किया गया है । मंत्रालय के संबद्ध संगठनों तथा खाद्य एवं पोषण बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वे सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में अल्पसंख्यकों की भर्ती के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई के

अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जेन्डर विकास संसूचक - जेन्डर सशक्तिकरण मानदण्ड पर संक्षिप्त रिपोर्ट दर्शाते श्री अनिल कुमार, सचिव, म.बा.वि.

बारे में सूचना के प्रसार के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई करें ।

जनता और कर्मचारियों की शिकायतें

1.50 मंत्रालय में प्राप्त जन शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाती है । उप सचिव (प्रशा.) को मंत्रालय का जन शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि खाद्य एवं पोषण बोर्ड के कनिष्ठ तकनीकी सलाहकार को बोर्ड के जन शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है ।

सूचना सुविधा केन्द्र

1.51 जनसंपर्क हेतु एकल खिड़की के रूप में सूचना सुविधा केन्द्र शुरू किया गया है । केन्द्र द्वारा मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों के बारे में सूचना प्रदान की जाती है। केन्द्र द्वारा मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों, जैसे खाद्य एवं पोषण बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला कोष की पत्र-पत्रिकाओं और अन्य साहित्य की प्रतियां भी प्रदान की जाती हैं । सूचना केन्द्र स्वैच्छिक संगठनों को अपने आवेदनों की स्थिति का पता लगाने में सहायता प्रदान करता है और ऑनलाइन आवेदन खोज प्रणाली से उन्हें अवगत कराने में भी उनकी मदद करता है । यह केन्द्र सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के रूप में कार्य करता है अर्थात् सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने के लिए नोडल एकक है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम

1.52 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप-धारा (1) में उल्लिखित उपबंधों के अनुसरण में मंत्रालय ने अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों की प्राप्ति और निपटान के लिए उप-सचिव/निदेशक के स्तर पर विषय-वार जन सूचना अधिकारी और अवर-सचिव के स्तर पर सहायक जन सूचना अधिकारी पदनामित किए हैं । इसके अलावा, जन सूचना अधिकारियों के निर्णयों के खिलाफ अपील पर विचार करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के अनुसार, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है । अपीलीय प्राधिकारियों तथा जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

संसदीय स्थायी समिति

1.53 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर मानव संसाधन विकास सम्बन्धी संसदीय स्थायी समिति की बैठक का आयोजन समिति के अध्यक्ष, श्री जनार्दन द्विवेदी की अध्यक्षता में 28 मार्च, 2008 को संसद सौध, नई दिल्ली में किया गया । संसदीय स्थायी समिति की संरचना **अनुलग्नक-III** में दी गई है । समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालय की विभिन्न कल्याण स्कीमों, नामतः आई.सी.डी.एस, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम, बच्चों हेतु बजट आयोजना, समेकित बाल संरक्षण स्कीम, निराश्रित बच्चों हेतु समेकित स्कीम, किशोर न्याय कार्यक्रम, शिशु गृह, अल्पावास गृह, स्वाधार के कार्यान्वयन तथा केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि जैसे संगठनों के कार्यकरण की जांच की।

1.54 वर्ष 2006 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के गठन के पश्चात मंत्रालय से संबद्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति का गठन 20 सितम्बर, 2006 को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ,श्रीमती रेणुका चौधरी की अध्यक्षता में किया गया । समिति ने वर्ष 2006 से वर्ष 2009 तक अपने कार्यकाल के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संबंधित विभिन्न विषयों पर 7 बैठकें आयोजित कीं । समिति की संरचना **अनुलग्नक-IV** में दी गई है ।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

1.55 मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग को केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति को मंत्रालय में कार्यान्वित करने का

अधिदेश प्राप्त है । इस नीति के अनुपालनार्थ आलोच्य अवधि के दौरान मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ाने के सभी संभव प्रयास किए गए । मंत्रालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है । अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में हिन्दी में प्रविष्टि करना इस वर्ष भी जारी रहा । हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया गया । मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन किया जा रहा है । मंत्रालय में 12-26 सितम्बर, 2008 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया । मंत्रालय में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग की समीक्षा करने के लिए विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं और कमियों को दूर करने के उपचारात्मक उपाय सुझाए गए । माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय में दो हिन्दी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया ।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक योजना

1.56 वर्ष 2008-09 के लिए बजट अनुमान योजना और गैर-योजना क्रमशः 7200 करोड़ रुपये और 62 करोड़ रुपये हैं । वर्ष 2008-09 के लिए संशोधित योजना और गैर-योजना परिव्यय क्रमशः 6850 करोड़ रुपये और 69 करोड़ रुपये हैं।

देश में महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास हेतु मंत्रालय द्वारा किए गए विशिष्ट उपायों के अंतर्गत प्राप्त प्रगति का ब्यौरा आगामी अध्यायों में दिया गया है ।